प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मुकेश पुत्र हरीराम, तिहाड जेल संख्या 8/9 नई दिल्ली 110064		उपखंड अधिकारी चितलवाना
प्रकरण अपील		26 /2018
कम्प्यूटर आई.डी		2018/ 00121

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

20.11.2018	रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) चितलवाना का जवाब प्राप्त हुआ। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) चितलवाना ने जवाब में व्यक्त किया कि अपीलांट द्वारा अर्न्तगत चाही गई सूचना उपखंड मुख्यालय चितलवाना एवं तहसील चितलवाना के नव सृजन से पूर्व की होने के कारण इसका रिकार्ड उक्त दोनों कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण तहसीलदार सांचोर को पत्रांक/1993 दिनांक 15.11.2018 के द्वारा लिखा गया तथा शेष सूचना जरिए पत्रांक/1998 दिनांक 15.11.2018 के द्वारा डाक से भिजवा दी गई है। हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी)चितलवाना के जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना अपीलांट को अपूर्ण व देरी से उपलब्ध करवाई गई। इस संबध में राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) चितलवाना को निर्देशित किया जाता है अपीलांट द्वारा आवेदित शेष सूचना संबंधित से प्राप्त की जाकर 20 दिन की समयावधि में अपीलांट को नि:शुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। (बी.एल.कोठारी) प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर